न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1084/पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.01.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 175/अपील/12-13.

सुरेन्द्र वर्मा आ. देवी प्रसाद वर्मा
निवासी ग्राम मल्कापुर,
तहसील व जिला बैतूल, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

जगमोहन वर्मा पुत्र श्री मनोहर लाल वर्मा
निवासी ग्राम मल्कापुर,
तहसील व जिला बैतूल, म.प्र. ....अनावेदक

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 06.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा ग्राम मल्कापुर, तहसील व जिला बैतूल स्थित भूमि खसरा नं. 61 रकबा 5.006 हैक्टेयर भूमि राजस्व खसरा वर्ष 89-90 में जगमोहन व मनोहरलाल ना0ब0 मनोहरलाल सुरेन्द्र व0 देवीप्रसाद सा0देह के नाम से संयुक्त रूप से अभिलिखित थी। तहसीलदार, बैतूल द्वारा उनके संशोधन क्र. 15 आदेश दिनांक 16.08.1995 के द्वारा अनावेदक जगमोहन का नाम बैतूल में मकान हिस्से में देने के कारण प्रश्नाधीन भूमि में से उनका हिस्सा समाप्त किया जाकर आवेदक सुरेन्द्र वर्मा के नाम पर संशोधन दर्ज किया गया। उक्त संशोधन आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के

समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्र. 12/अ-6/05-06 दर्ज कर दिनांक 14.02.2006 को आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का संशोधन क्र.15 आदेश दिनांक 16.08.1995 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सहमति के आधार पर समय अवधि बाह्य नामांतरण अनावेदक का अपील में पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि संशोधन पंजी क्रमांक 15 पारित आदेश दिनांक 16.08.1995 में अनावेदक को भलीभांति जानकारी में था कि उसे अपना हिस्सा बाहमी बंटवारे में मकान दिया गया था, इस कारण इस नामांतरण आदेश पर उसने कोई आपत्ति नहीं की। यह नामांतरण आदेश विधिवत् आम इश्तहार प्रकाशन वाद आदेश पारित किया गया। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं मानी जाती है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक ने लगभग 10 वर्षों के पश्चात् संशोधन पंजी क्रमांक 15 में पारित आदेश दिनांक 16.08.1995 को अपील में आक्षेपित किया। प्रकरण में पारित नामांतरण आदेश किस प्रकार किया जाना है, यह उसका विदित था फिर भी उसके द्वारा अपील की गई। अनावेदक द्वारा उपरोक्त आदेश की जानकारी नहीं होना, सही नहीं है। इस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने कोई निष्कर्ष न देने के कारण पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक की अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण ग्राह्य कर स्थगन प्रदान किया। ऐसी अवस्था में आवेदक की द्वितीय अपील का निराकरण करने में म्याद के प्रश्न पर एवं अनावेदक की जानकारी में संशोधन पंजी क्रमांक 15 में पारित आदेश दिनांक 16.08.1995 के बावत् न्यायोचित निष्कर्ष न दिये जाने के कारण पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद एवं अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल द्वारा

विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 06.01.2017 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने पंजी पर बिना आवेदक को सुने उसका नाम कम कर दिया, जो कि अनुचित कार्यवाही है। तहसीलदार की उक्त अनुचित कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 16.08.1995 को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद ने कोई त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 1998 आर.एन. 319 भवानी विरूद्ध लेखराज तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है-

"धारा44 (2)-तथ्यों के निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा एक ही-कोई विपर्यास दर्शित नहीं-द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर